

सहायक कलक्टर (SBO)

बायत

मुकाम

मीरी

वनाम

पुनाराम लगेरा

करम मुकदमा दा० आवेदन 111/128

नं. 01/17 सन् 2017

संख्या

हुकम कार्यावाही मय इनिशियल्स जाज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील न जारी हुए

3/1/17

प्रार्थी/पदी/अपीलांत के वकील श्री... रि०/पुनाराम सिधोवा

नं. 111, 128

राजस्थान क/स्तकारी/ भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।

जा दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पॉण्डेंट जरिये नोटिस/सम्मन

तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक... 18/1/17 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SBO)

बायत

18/01/17

प्रार्थी व वकील उपस्थित/ विप्रार्थी/गोवा के नोटिस तामिल कहुडा पालत जिन्हे शामिल पत्रावली हीन गमा। विप्रार्थी संख्या 5 के अंतर्गत वकील भी प्रमोडगाम त्सात द्वारा गवर्नर टेकिंग ली गई ओष विप्रार्थी/गोवा का कहुडा तामिल कहु उपस्थित। प्रार्थी वकील इस दस्तावेजों की कृपि नडल सीतासत जिन्हे प्रतः पत्रावली विप्रार्थी संख्या 5 के कडालतनामा व जवाब हेतु दिनांक 13/02/17 को पेश हो।

Handwritten notes in right margin: "उपस्थित नहीं थे", "विप्रार्थी/गोवा", "5/1/17"

सहायक कलक्टर (SBO)

बायत

13/02/17

प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 5 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 5 के वकील द्वारा कडालतनामा व जवाब पेश नहीं किया गया। फॉरिन पेश करना चाहते हैं। प्रवर्तक डिमा जाडर पत्रावली फॉरिन दिनांक 22/02/17 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SBO)

बायत

22/02/17

प्राथी व विप्राथी संख्या 5 के वहील उपलब्ध  
उपलब्ध। विप्राथी संख्या 5 के वहील द्वारा  
वडालनामा व जबाब पैरा नहीं किया गया  
विप्राथी वहील द्वारा प्राथी-पत्र वाले उम्मीदारी  
संशोधित करने बाबत व इन्वाकेजों की सूची  
(सिविल मेटरिन्स) पैरा की गई जिसे शामिल  
पभावली किया गया। अतः विप्राथी संख्या  
5 के वडालनामा व जबाब हेतु पभावली फाइनल  
दिनांक 28/02/17 को पैरा दी।

सहायक कलेक्टर (SDO)  
बायल

28/02/17

प्राथी व विप्राथी संख्या 5 के वहील उपलब्ध।  
प्राथी वहील द्वारा इन्वाकेजों की सूची (सिविल  
मेटरिन्स) नवल सीमांतान दिनांक 27/01/17 को की  
गति पैरा की जिसे शामिल पभावली किया गया।  
विप्राथी संख्या 5 के वहील द्वारा वडालनामा व  
जबाब पैरा नहीं किया गया। तदनुसार पैरा करना  
चाहते हैं सर्व में पदलि कवल दिने गये, कलिपु  
कवल दिनांक जाडर पभावली फाइनल दिनांक 08/03/17  
को विप्राथी वहील द्वारा पुनः प्राथी-पत्र व मूल  
फाइनल के बरस हेतु दिनांक पैरा दी।

सहायक कलेक्टर (SDO)  
बायल

08/03/17

प्राथी व विप्राथी संख्या 5 के वहील उपलब्ध।  
विप्राथी संख्या 5 के आधिपन्त द्वारा जबाब पैरा  
नहीं किया गया सर्व में कलिपु कवल दिनांक गया  
था। विप्राथी संख्या 5 के आधिपन्त का जबाब  
बनू किया जाडर दोनों पत्रों के आधिपन्त की बरस  
सुनी गई विप्राथी संख्या 5 के आधिपन्त द्वारा  
वलाया की इन्त खससे से सम्बन्धित सीमानु सम्प्राधिप  
आधुन्त जोधपूर में अपील विप्राथी दिन है इसलिप  
इन्त आवेदन के धारणादी स्थिति की जावे।

सहायक कलेक्टर (SDO)  
बायल

जबकि पार्टी के अधिवक्ता द्वारा विपक्षियों  
अधिवक्ता के द्वारा खंडन करते हुए बताया की  
विपक्षियों द्वारा सीमा सम्पत्ति प्रायुक्त  
जोधपुर के न्यायालय के उक्त खंडों के संबंधित  
कमल केश उर रवली के परन्तु उक्त कमल  
के कोई क्वी प्रकाश का स्थान कोई क्वी  
उका ही कार्यवाही के दोषने का कोई न्याय  
नहीं के सम्बन्ध के प्रमाणित बनाये रखने  
का जारी नहीं हो रखा है। स्थान कोई  
जारी नहीं होने की स्थिति के उक्त क्वेडन  
में कोई क्वी प्रकाश ही कार्यवाही सम्पन्न नहीं  
ही जा सकती है बिनाजा पार्टी का क्वेडन  
स्वीकार ही जा जाकर नैचमबनी कोई क्वी  
जावे। पार्टी द्वारा सर्व के अपने प्यालेगरी  
खेलो का सीमांतान भी इतना कम जिम्मे  
उति संलग्न है परन्तु पार्टी के अपने प्यालेगरी  
खेलो के चारों ओर क्वेडन नैचमबनी इतना  
जाने आवश्यक है यदि विपक्षियों द्वारा उक्त  
कमल सीमा सम्पत्ति प्रायुक्त जोधपुर के  
न्यायालय के विपक्षियों के पक्ष में निर्णयित  
होती है। ले उक्त नैचमबनी क्वेडन का कोई  
स्वतः ही निरूपणावी माना जावेगा।

अतः पार्टी के अधिवक्ता के निर्णय  
पर पार्टी का क्वेडन स्वीकार किया जाकर  
तदवलीला गिड्य को अमिशनर मिथुक्त किया जाता  
है व कोई किया जाता है कि क्वेडन का  
अपने अधिनस्थ सीमा भी अमिलेख मिरिड  
से पार्टी के प्यालेगरी खेलो की पन्दी नैचमबनी  
माडे पर खुलु जमाडाउर उरे पालना रिपी

सहायक क्लर्क (SBO)  
नाथल

क्रमांक/वाच/201

1. मीरो पत्नी  
निवासी हैरा...

प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की पत्रावली  
मेसल शुमार की रजि नम्बर के सम ही प्रेषित  
करता है।

सहायक कलेक्टर (SPO)  
बायत

सहायक कलेक्टर (SPO)  
बायत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2017/ 554

दिनांक:- 8-3-17

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. मीरों पत्नी चैनाराम जाति जाट  
निवासी बैरड़पुरा, खोखसर पश्चिम तह.  
गिड़ा जिला बाड़मेर

1. पुराराम पुत्र खेराजराम वगैरा  
27 निवासी बैरड़पुरा, खोखसर  
पश्चिम तह. गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 01/17

आदेश

खसरा नं. 1006/921 रकबा 16.01 बीघा मौजा बैरड़पुरा पटवार मण्डल खोखसर पश्चिम भू अभिलेख वृत्त परेउ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअनिरीक्षक से प्रार्थीनी के खातेदारी खेत की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें।

अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 111, 128 के अन्तर्गत प्रार्थीनी के खातेदारी खेत की नेखमबंदी मौके पर थाना प्रभारी गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/वाद/2017/ 555 to 559

सहायक कलेक्टर (SDO)  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

दिनांक:- 8-3-17

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी खोखसर पश्चिम को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री मीरो देवी पत्नी चैनाराम।
4. विप्रार्थी श्री पुराराम पुत्र खेराजराम वगैरा 27।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।

सहायक कलेक्टर (SDO)  
बायतु